119

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/~~सतना~~ रीवा/भूरा/2017/2127 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29–06–2017 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1/अ–13/2015–16.

....

1–केशरी सिंह तनय ललितासिंह
निवासी ग्राम बसिगड़ा तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1–सरपंच ग्राम पंचायत बसिगड़ा तहसील
हनुमना जिला रीवा म0प्र0
2–सचिव ग्राम पंचायत बसिगड़ा तहसील
हनुमना जिला रीवा म0प्र0
3–कार्यपालन यंत्री विकास खण्ड हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0 पी0 द्विवेदी अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 19-1-18 को पारित)

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/~~सतना~~ रीवा/भूरा/2017/2127

//2//

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-06-2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं ।

2-प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक सरपंच ग्राम पंचायत बसिगडा द्वारा सरपंच श्रीमती रामवती विश्वकर्मा जनपद पंचायत हनुमना जिला रीवा की ओर से आराजी कमांक 286/3/क/1रकवा 0.910 है0 का अंश रकवा 0.009 है0 स्थित मौजा ग्राम बसिगड़ा तहसील हंनुमना जिला रीवा में शासकीय मार्ग घोषित किये जाने बावत म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 135 के अंतर्गत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदक द्वारा आपत्ति की गई जो अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा दिनांक 29.6.17 को निरस्त कर दी गई थी उसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3-उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक सरपंच ग्राम पंचायत बसिगडा द्वारा सरपंच श्रीमती रामवती विश्वकर्मा जनपद पंचायत हनुमना जिला रीवा की ओर से आराजी कमांक 286/3/क/1रकवा 0.910 है0 का अंश रकवा 0.009 है0 स्थित मौजा ग्राम बसिगड़ा तहसील हनुमना जिला रीवा में शासकीय मार्ग घोषित किये जाने बावत म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 135 के अंतर्गत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदक द्वारा आपत्ति की गई जो अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा दिनांक 29.6.17 को निरस्त करते हुये प्रकरण में अंतिम बहस हेतु दिनांक 7.7.17 पेशी नियत की गई थी। पटवारी प्रतिवेदन स्थल पंचनामा नजरी नक्शा के

अवलोकन से भी स्पष्ट है कि केवल आराजी कमांक 286/3/क/1रकवा 0.910 हे0 का अंश रकवा 0.009 हे0 स्थित मौजा ग्राम बसिगड़ा के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है यदि किसी अन्य भूमि के भूमिस्वामी को आपत्ति है तो वह पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपना पक्ष समर्थन कर सकता था इस बात का उल्लेख अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा अपने अंतिरिम आदेश दिनांक 29.6.17 के पैरा –4 में किया गया है, जिससे मैं सहमत हूॅ।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 1/अ–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर